

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- स्टोर/अनु.वाहन/2019-20/30

दिनांक :- 27-6-19

कार्यालय आदेश

मण्डल के मुख्यालय/वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों को 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक के लिए अनुबन्ध पर टैक्सी वाहन लगाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 तथा F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 की शर्तों व मण्डल की शर्तों के अनुसार टैक्सी वाहन (कारों) की दरें मण्डल में स्वीकृति की गई हैं।

परिपत्रानुसार वाहन के लिये अधिकृत अधिकारियों की सूची, श्रेणी एवं भुगतान दर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकारी का पद	वाहनो की संख्या	अधिकतम स्वीकृत यात्रा कि.मी.
1.	पूर्ण राज्य	वित्तीय सलाहकार निदेशक विधि अति. मुख्य नगर नियोजक सम्पदा प्रबंधक (मुख्यालय) सम्पदा प्रबंधक (भूमि) उप आवासन आयुक्त, गुणवत्ता नि. जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड विद्युत जयपुर मुख्य सम्पदा प्रबंधक उप सचिव विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष आवास विकास अवसायन समिति (मुख्यालय)	11	2500 कि.मी.
2.	एक से अधिक जिला	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम जयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय, जोधपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत्त - प्रथम, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत्त - द्वितीय, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत्त - तृतीय, जयपुर आवासीय अभियंता गुणवत्ता प्रथम जयपुर आवासीय अभियंता गुणवत्ता द्वितीय जयपुर उप आवासन आयुक्त वृत्त, प्रथम, जोधपुर वृत्त - प्रथम जोधपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियंताओं के लिए) उपआवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय जोधपुर वृत्त - द्वितीय जोधपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियंताओं के लिए) आवासीय अभियंता पी.एच.ई., जोधपुर गुणवत्ता नियंत्रण, जोधपुर उप आवासन आयुक्त, अलवर उप आवासन आयुक्त, उदयपुर वृत्त - उदयपुर के लिए एक पूल वाहन उनके	36	2200 कि.मी.

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

		अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियंताओं के लिए) उप आवासन आयुक्त, बीकानेर उप आवासन आयुक्त, कोटा आवासीय अभियंता पीएचई, प्रथम जयपुर आवासीय अभियंता पीएचई, द्वितीय जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड पाली आवासीय अभियंता खण्ड दौसा आवासीय अभियंता खण्ड भरतपुर आवासीय अभियंता खण्ड बाडमेर आवासीय अभियंता खण्ड डूंगरपुर आवासीय अभियंता खण्ड भीलवाडा आवासीय अभियंता खण्ड चित्तौडगढ आवासीय अभियंता खण्ड हनुमानगढ आवासीय अभियंता खण्ड बांरा आवासीय अभियंता खण्ड झूंझुनू आवासीय अभियंता खण्ड अजमेर आवासीय अभियंता खण्ड नागौर, आवासीय अभियंता खण्ड भिवाडी आवासीय अभियंता खण्ड अलवर आवासीय अभियंता खण्ड बीकानेर		
3.	एक शहर	आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड द्वितीय जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड तृतीय जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड चतुर्थ जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड पंचम जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड षष्ठम जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड नवम् जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड दशम् जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड ग्यारह जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड बारह जयपुर आवासीय अभियंता, खण्ड-तेरह, जयपुर सहायक निदेशक (जनसम्पर्क जयपुर) तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त, जयपुर तकनीकी सहायक, अध्यक्ष, जयपुर संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, जयपुर वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर पूल वाहन-चार सलाहकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर	21	1500 कि.मी.
		योग	68	

* अनुबंधित वाहन यदि उपरोक्त सूची अनुसार निर्धारित सीमा (1500, 2200 एवं 2500 कि.मी.) से कम चलते हैं तो वाहनों का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से होगा।

1. 1500 कि.मी. की दूरी तक राशि रु. 24000/- + GST (Extra if applicable)
 2. 1500 कि.मी. से अधिक दूरी तक राशि रु. @ 9.00 प्रति कि.मी
- वाहन प्रदाता/फर्म को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
 - वाहन अनुपस्थित रहने पर 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी।
 - अनुबन्ध की शर्तें राज्य सरकार के आदेश की शर्तों एवं मण्डल की शर्तों के अनुसार होगी। जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को भिजवाये।

- वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके अधीन संचालित वाहनों का भुगतान उनके स्तर पर ही किया जायेगा। उक्त अधिकारी इस हेतु आवश्यक बजट का आवंटन सुनिश्चित करावें।
- वाहन प्रदाता से भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति संलग्न प्राप्त करना आवश्यक है।
- मुख्यालय स्तर पर जिन अधिकारियों को टैक्सी/वाहन अनुबन्ध पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में उस दिन वाहन चालक द्वारा सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा। जिससे वाहन को पूल में उपयोग किया जा सके। अन्यथा उस दिन अनुपस्थिति मानते हुये रूपये 750/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
- सहायक लेखाधिकारी (भण्डार प्रकोष्ठ) के अधीन लगाये गये पूल वाहनों के वाहन चालक प्रतिदिन भण्डार प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अन्यथा अनुपस्थिति मानते हुये रूपये 750/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

६०
सचिव
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

प्रतिलिपीयां :-

1. निजी सचिव अध्यक्ष/निजी सचिव आवासन आयुक्त रा.आ.म. जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता...../अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता...../उप आवासन आयुक्त...../आवासीय अभियन्ता खण्ड.....रा.आ.म.जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव/विशेषाधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक (मु.)/सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)/सहायक निदेशक जनसम्पर्क/तकनीकी सहायक - अध्यक्ष,/तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त/सहायक लेखाधिकारी भण्डार प्रकोष्ठ/सलाहकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
4. मास्टर पत्रावली

सचिव
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।

क्रमांक :- स्टोर/अनु.वाहन/2019-20/31

दिनांक :- 27-6-19

कार्यालय आदेश

01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक के लिए मण्डल कार्यालय के अधीनस्थ वृत्त/खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों के लिये टैक्सी वाहन अनुबंध पर लगाये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 तथा F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 की शर्तों व मण्डल की शर्तों के अनुसार टैक्सी वाहन (कारों) की दरें मण्डल में स्वीकृत की गयी है। वाहन के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या
1	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर	1
2	उप आवासन आयुक्त-(वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर, वृत्त-प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, वृत्त-अलवर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर)	9
3	आवासीय अभियन्ता-(खण्ड-पी.एच.ई.-प्रथम/द्वितीय, जयपुर, पी.एच.ई. जोधपुर, खण्ड-विद्युत, जयपुर, गुणवत्ता नियंत्रण, जोधपुर	5
4	आवासीय अभियन्ता - (खण्ड - झुन्झुनु/भिवाड़ी/भरतपुर/नागौर/पाली/बाड़मेर/भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़/अजमेर/डूंगरपुर/बांरा/हनुमानगढ़/दौसा/अलवर/बीकानेर)	15
5	आवासीय अभियन्ता - (खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/नवम/दशम/ग्यारह/द्वादश एवं तेरह जयपुर,)	11
	निम्नखिलित वृत्त कार्यालयों को एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियन्ताओं के लिए। वृत्त-प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, उदयपुर।	3
		कुल वाहन 44

- वाहन प्रदाता/फर्म को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
- वृत्त एवं खण्ड कार्यालय के अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है, अपने स्तर पर बजट आवंटन सुनिश्चित करवाये।
- वाहन अनुपस्थित रहने पर 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी।
- अनुबन्ध की शर्तें, मण्डल की शर्तों के अनुसार ही होगी। जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी, (भण्डार) को भिजवाये।

संस्थान
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

संचालित वाहनों का भुगतान वृत्त/खण्ड स्तर पर किया जायेगा। बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति लगाना आवश्यक है।

उक्त आदेशो को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपियां :-

1. निजी सचिव अध्यक्ष/निजी सचिव आवासन आयुक्त रा.आ.म. जयपुर
2. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... रा.आ.म. जयपुर
3. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... रा.आ.म. जयपुर
4. लेखाधिकारी (भुगतान) रा.आ.म. जयपुर

६०
सचिव
राजस्थान आवासन मंडल
जयपुर


सचिव
राजस्थान आवासन मंडल
जयपुर